

संचालनालय,  
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं  
मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail:- dirtadp@mp.gov.in  
Faxno.-0755-2554655

क्रमांक/621/वनअधि/15/ 136  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16-04-15

समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश

- विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने बाबत।  
संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक/वन/विस1331/14/5444, दिनांक 7.1.2015 एवं पत्र क्रमांक/161ए/वनअधि/15/6632, दिनांक 3.3.2015

विषयान्तर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया है। जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने शेष हैं। चूंकि सामुदायिक वन अधिकार के दावों को प्रस्तुत करने एवं उन्हें प्राप्त करने में व्यक्ति विशेष की रूचि कम होने से ग्रामसभा में दावे प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, जबकि वनभूमि में ग्रामवासी पुरातन समय से कौन-कौन से अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, इसकी जानकारी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजों से की जाकर सामुदायिक अधिकारों को चिन्हित किया जा सकता है। सामुदायिक वन संसाधनों को राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 के अनुसार दखल रहित भूमि के रूप में राजस्व विभाग के द्वारा दर्ज किया जाता रहा है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत विशेष अधिकार दिये गये हैं। वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की लंबित जांच एवं कार्यवाही के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रदान किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का अध्यक्ष भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नामांकित किया गया है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की तिहरी भूमिका होने से वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) कंडिका ख, ग, घ एवं कंडिका ड में उल्लिखित सामुदायिक वन अधिकार वन निवासियों को प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिनियम की धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि के पुराने व नये खसरा नंबर, उनकी दर्ज मद एवं उन पर बताये गये प्रयोजन एवं अधिकारों के ब्यौरे वन व्यवस्थापन नरित सहित राजस्व अभिलेखों से तैयार करा सकते हैं। इसी तरह चिन्हित वनभूमि के भी ब्यौरे राजस्व अभिलेखों से तैयार करा सकते हैं।

उपरोक्त ब्यौरे के आधार पर संबंधित ग्रामसभा से सामुदायिक वन अधिकार के दावे प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जाकर उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से सामुदायिक वन अधिकार के हक प्रमाण पत्र जारी कराये जा सकते हैं।

प्रदेश में मान्य सामुदायिक अधिकार पत्रों के चिन्हांकन हेतु वन एवं राजस्व विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों के समन्वय से वनखण्डवार जानकारी निम्न प्रपत्र में तैयार कर सामुदायिक अधिकारों की पहचान की जा सकती है :-

निरंतर...2

वन अधिकार कानून के अनुसार वनखण्डों में सामुदायिक अधिकार पत्र

ग्राम का नाम : ..... बं.नं. : ..... प.ह.नं. : ..... वनखण्ड का नाम :

वनखण्ड में शामिल किया		बाजिबुल अर्ज या हुकूक रजिस्टर या रूढ़ि पत्रक या रिकार्ड ऑफ राइट्स में दर्ज भूमि की		अधिकार अभिलेख के अनुसार नया खसरा नंबर	निस्तार पत्रक या अधिकार अभिलेख या खसरा पंजी में दर्ज	
खसरा नं.	रकबा	मद	भूमि का प्रयोजन		मद	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7

उपरोक्तानुसार प्रपत्र के कालम 6 एवं 7 में निस्तार पत्रक या अधिकार अभिलेख या खसरा पंजी में दर्ज मद एवं प्रयोजन की जानकारी वनखण्डवार तैयार हो जायेगी।

अतः आपके जिलों में उपरोक्तानुसार प्रपत्र में वनखण्डवार जानकारी तैयार कराकर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देश जारी करें कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत समस्त सार्वजनिक संयोजन की वनभूमि के वन संसाधनों के उपयोग के लिये सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी कराये। आपसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्य की नियमित समीक्षा आपके स्तर से प्रत्येक समय-सीमा की बैठक में करें तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में नियमित रूप से प्रतिमाह की 10 तारीख तक इस संचालनालय को ईमेल अथवा फैक्स पर उपलब्ध करावें।  
संलग्न : यथोपरि।

आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 16-04-15

पृ. क्रमांक/621/वन अधि/15/ 137  
प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) ..... संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, संभाग ..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ..... मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक नियोजन अधिकारी  
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-वी

प्रथम

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्रमांक 5110 द्वारा श्री माधु भगत मान. विधायक महोदय

जिला बालाघाट में वनअधिकार अधिनियम 2006 के तहत विगत तीन वर्षों में प्राप्त निराकृत लंबित एवं वितरित हक प्रमाण पत्रों की जानकारी

व. सं.	वर्ष	प्राप्त दावे		निराकृत दावे		लंबित दावे		अमान्य दावे		मान्य दावों में से वितरित हक प्रमाण पत्र		वितरण हेतु शेष हक प्रमाण पत्र		हक प्रमाण पत्रों के वितरण हेतु शेष रहने का कारण	दावे लंबित रहने का कारण
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक		
1	2015 से 2018 तक	651	1034	1685	1034	0	0	0	0	18	19	21	22	24	25
1		651	1034	1685	1034	0	0	378	819	210	756	966	0	0	0

सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट

Amish

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट  
आदिम जाति विकास विभाग  
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट

DE